

पार्थ सारथी सेन शर्मा
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक



मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकम)
प्रधान कार्यालय, ४-ए गोखले मार्ग, लखनऊ
फोन कार्य० ०५२२-२२०८७३७, २२०७०६५
फैक्स न०- ०५२२-२२०८७६९
E mail : md.mvvnl2010@gmail.com

पत्र सं० ३८८ प्रनि / मविविनिलि / कैम्प

दिनांक ०८.०७.२०१०

विषय:- वर्षा ऋतु से पूर्व निरोधात्मक अनुरक्षण कराने के संबंध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिंग०।

वर्षा ऋतु में प्रायः अधिक व्यवधान होते हैं और दोषों के निवारण में समय भी अधिक लगता है। शासन की प्राथमिकता है कि उपभोक्ताओं को शिड्यूल के अनुसार निर्धारित अवधि हेतु यथा सम्भव निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके। इस दृष्टिकोण से आप लोगों ने वर्षा ऋतु से पूर्व ही आवश्यक निरोधात्मक अनुरक्षण कार्य करा लिये होंगे। फिर भी निम्नलिखित सुझाव पर ध्यान देकर यदि अभी तक अनुरक्षण कार्य नहीं कराये गये हो तो उनको कराना सुनिश्चित करें:-

1. सभी परिवर्तकों, विशेषरूप से पावर परिवर्तकों के 'सिलिका जेल' की जाँच करा ली जाए। नमी/शोषित/भूरे पड़ गए 'सिलिका जेल' को प्रक्रियानुसार गर्म कर नमी रहित इसनम बवसवनतमकद्व कर प्रयोग किया जाए। यथा आवश्यक पुराने एवं खराब हो चुके 'सिलिका जेल' को नए व नमी रहित से बदल दिया जाए। वर्षा ऋतु के दौरान भी 'सिलिका जेल' की समय-समय पर जाँच करते रहने तथा आवश्यकतानुसार नमी रहित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाना अभीष्ट होगा।
2. परिवर्तकों में ट्रांसफार्मर आयल के रिसाव को जजमदक किया जाए अन्यथा तेल का स्तर कम होने के साथ-साथ उसी रिसाव मार्ग से आर्द्रता परिवर्तक में प्रविष्ट हो सकती है जिससे तेल प्रदूषित ,बवदजंउपदंजमद्व भी हो जाएगा। कन्जर्वेटर टैंक पर लगे आयल लेवल इंडिकेटर पर निर्भर न रहते हुए भौतिक जाँच से भी तेल की मात्रा का आकलन किया जाय। कन्जर्वेटर टैंक से ट्रांसफार्मर टैंक को जोड़ने वाले पाइप पर यदि कोई वाल्व लगा हो तो वह परिवर्तक के परिचालित रहने की दशा में सदैव खुला रहे यह अवश्य देख लिया जाय।
3. बुकोल्ज रिले के दोनों ओर लगे वाल्व खुले हों यह सुनिश्चित किया जाय। परीक्षण खण्ड के अधिकारियों के माध्यम से बुकोल्ज रिले की कार्य प्रणाली दोष रहित है— यह भी जाँच करा लिया जाय।
4. सभी रेडिएटर्स के वाल्व, ऊपर एवं नीचे खुले रहें— यह भी सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु सभी रेडिएटर्स का तापमान एक समान तथा परिवर्तक टैंक के लगभग बराबर होने की पुष्टि हाथ से छूकर की जा सकती है। किसी रेडिएटर का तापमान अन्य रेडिएटर्स के सापेक्ष असामान्य रूप से कम होना, उस रेडिएटर के वाल्व बन्द होने का संकेत है।
5. सभी पावर परिवर्तकों की टैंक बड़ी सालिडली अर्थ होनी चाहिए। परिवर्तक का न्यूट्रल भी डबल अर्थ होना चाहिए— एक अर्थ मैट के माध्यम से तथा दूसरा स्वतंत्र इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से। न्यूट्रल के समुचित रूप से अर्थ न होने से असंतुलित भार के कारण बड़ी संख्या में परिवर्तक क्षतिग्रस्त होते हैं।

6. सभी उपकेन्द्रों से 33 एवं 11 के^{0वी०} स्विचगियर्स का परीक्षण अवश्य किया जाय। दोष आने पर सभी स्विचगियर्स की स्वतंत्र ट्रिपिंग होनी चाहिए। किसी 11 के^{0वी०}/एल०टी० प्रणाली पर आने वाले दोष उस पोषक को नियंत्रित करने वाले स्विचगियर से ही कलीयर हो जाना चाहिए। किन्हीं डेड शार्ट सार्किट की गम्भीर दशा में 11 के^{0वी०}/एल०टी० प्रणाली का दोष इनकमिंग स्विचगियर की ट्रिपिंग से आइसोलेट हो जाना चाहिए। ऐसी फाल्ट पर परिवर्तक से, उच्च स्तर की फाल्ट करेन्ट लगातार फीड होने पर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है।

7. विद्युत की शिरोपरि लाइनों पर खम्भों के सहारे चढ़ी लताओं/बेल ,बतमचमतेधपदमद्ध आदि को हटा दिया जाए। कन्डक्टर तक बढ़ी हुई हरी बेल/लता से वर्षा ऋतु में भीगी अवस्था में 'करेन्ट' उतर सकता है जो गम्भीर/घातक दुर्घटना का कारक भी हो सकता है।

8. इसी प्रकार एच०टी०/एल०टी० शिरोपरि लाइनों से लग रही पेड़ों की शाखाओं/टहनियों को इस प्रकार छटवा ,बतनदपदहद्ध दिया जाए कि कन्डक्टर से न्यूनतम् सुरक्षित बसमतंदबम उपलब्ध रहे। वर्षा से भीगी शाखा/टहनी से भी पेड़ों में 'करेन्ट' उतर सकता है। इस स्थिति में सपदम मंतजीनिसज पर ट्रिप भी हो सकती है।

9. वर्षा आगमन से पूर्व ही 11 के^{0वी०} स्विचगियर्स के नीमंजमते क्रियाशील करा लिए जायें ताकि लम्बी अवधि की रोस्टरिंग अथवा अत्यधिक आर्द्रता नीनउपकपजलद्ध होने पर बन्द ,विद्धि स्विचगियर्स को पुनः परिचालित करने से पूर्व नीमंजमते के माध्यम से गर्म कर लिया जाए अन्यथा प्रायः शतप्रतिशत आर्द्रता की स्थिति में स्विचगियर्स के चवनज आदि में नमी ,उवपेजनतमद्ध जम जाने ,बवदकमदेमद्ध से सीधारमत की आशंका हो सकती है। स्विचगियर्स के अन्दर हुए सीधारमत से लम्बी अवधि के आपूर्ति व्यवधान हो सकते हैं।

10. शिरोपरि लाइनों के फेज कन्डक्टर्स तथा फेज एवं अर्थवायर (यदि हो)/अर्थड हिस्से के मध्य निर्धारित न्यूनतम् दूरी ,बसमतंदबमद्ध अवश्य सुनिश्चित किया जाए। गलत तरीके से लगे चपद पदेनसंजवते अथवा टूटी क्रास आर्म अथवा टूटे/झुके मूळ ब्रैकेट अथवा ज्ञपदहनसंत बवदपिहनतंजपवद के स्थान पर उसी क्रास आर्म पर नीवप्रवदजंस बवदपिहनतंजपवद में तीनों कन्डक्टर आदि दोषों को शीघ्र दूर करा लिया जाए अन्यथा 'फेज टू फेज' अथवा 'फेज टू अर्थ' के मध्य अपर्याप्त बसमतंदबमे के कारण आर्द्र वायु में सीधारमत होने से पदेनसंजवत के क्षतिग्रस्त होने के अतिरिक्त सपदम के जतपच करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

11. 33 के^{0वी०} उपकेन्द्र, 33 के^{0वी०} एवं 11 के^{0वी०} लाइनों के इन्सुलेटर वर्षा ऋतु में अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त होते हैं। अतएव अन्य सामग्री के साथ आवश्यक मात्रा में सभी प्रकार के इन्सुलेटर की व्यवस्था पूर्व कर ली जाय।

मुझे आशा है कि आप अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय अधिकारियों के सहयोग से उपरोक्त समस्त निरोधात्मक अनुरक्षण सुनिश्चित करायेंगे। यदि इस बारे में कोई समस्या हो तो मुझे अवगत भी करा सकते हैं।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रति निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।